सं. 4-7/2017-बीपी-2(एससी/एसटी/ओबीसी होस्टल)

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक 29 मई, 2017

सेवा में,

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
भारतीय खाद्य निगम,
16-20 बाराखम्बा लेन,
नई दिल्ली- 110001

विषय: **अप्रैल, 2017 से सितम्बर, 2017** तक अर्थात् वर्ष 2017-18 की प्रथम छमाही हेतु **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग छात्रावास स्कीम** के अंतर्गत खाद्यान्नों का आवंटन।

महोदय,

मुझे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातिं अन्य पिछडा वर्ग छात्रावास स्कीम के अंतर्गत तेलंगाना और त्रिपुरा राज्यों को अप्रैल, 2017 से सितम्बर, 2017 तक अर्थात् वर्ष 2017-18 की प्रथम छमाही के लिए गरीबी रेखा से नीचे (**बीपीएल**) के मूल्यों पर चावल की निम्नलिखित मात्रा के मासिक आवंटन हेतु सरकार का अनुमोदन संप्रेषित करने का निदेश हुआ है:-

(टन में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	चावल(प्रति माह)
1	तेलंगाना	6433.937
2	त्रिपुरा	309.85

2. भारतीय खाद्य निगम यह सुनिश्चित करेगा कि चावल की उक्त मात्रा उनके नजदीकी डिपो से बीपीएल दर पर पूर्व-भुगतान के आधार पर उनके द्वारा किए जाने वाले जिलेवार उप आवंटन के अनुसार राज्यों के प्रतिनिधि / नामित व्यक्ति को जारी की जाए है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस विभाग को सूचना देते हुए इस संबंध में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को समुचित निर्देश जारी किए जाएं और उनके नजदीकी डिपो से खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

3. इस योजना के उचित कार्यान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। अक्टूबर, 2017 से मार्च, 2018 अर्थात् वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 की दूसरी छमाही के लिए आवंटन पर इस योजना के तहत राज्यों से वर्ष 2016-17 के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा।

4. अप्रैल, 2017 से जून, 2017 माह के लिए आवंटित खाद्यान्न की लागत जमा करने और उठान की वैधता अवधि इस पत्र के जारी होने की तारीख से 50 दिनों तक होगी और जुलाई, 2017 से सितम्बर, 2017 तक अर्थात् शेष महीनों के लिए लागत जमा करने और उसके आवंटित खाद्यान्न उठाने की वैधता अवधि क्रमशः प्रत्येक आवंटन माह की 15 और 20 तारीख होगी।

भवदीय,

(ए.के. मिश्रा)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:

1. सचिव, खाद्य, नागारिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, तेलंगाना और त्रिपुरा राज्य सरकारों प्रशासन।
2. निदेशक(एनएफएसए)/ निदेशक(पीडी)/उप-सचिव(नीति)/उप-सचिव(एफसी-लेखा)/संयुक्त निदेशक(संचालन)/अवर सचिव(बीपी-I/III)/गार्ड फ़ाइल।